नेपाल - नए संविधान की मुख्य विशेषताएं

डॉ. अमित कुमार*

नेपाल का नया संविधान 20 सितम्बर, 2015 को आख्यापित हुआ। वर्ष 1948 के बाद से नेपाल के इतिहास में यह सातवां संविधान है, जिसमें 308 अनुच्छेद, 35 खंड और नौ अनुसूची हैं। अंतरिम संविधान के अधिनियमित होने के आठ वर्षों के बाद अंगीकार किया गया यह नया संविधान मधेसी, थारू और जनजाति को संतुष्ट करने में असफल रहा है, जो कुल मिलाकर नेपाल की जनसंख्या का लगभग 49 प्रतिशत हैं। इस संदर्भ में यह रिपोर्ट संविधान की मुख्य विशेषताओं, संवैधानिक विकास की समय सीमा, नेपाली नेताओं की टिप्पणियां, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की प्रतिक्रियाएं और भारत के प्रत्युत्तर का उल्लेख करने का एक प्रयास है।

मुख्य विशेषताएं

सम्प्रभुता

नेपाल की सम्प्रभुता नेपाल की जनता में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, "हम, नेपाल के लोग, हमलोगों में अंतर्निहित सम्प्रभु शक्तियों का उपयोग करने में ---।" यह संविधान "देश की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा बनाए रखते हुए लोगों के सम्प्रभु अधिकार को समेटे हुए है" (पैरा-2 संविधान की प्रस्तावना)।

'सम्प्रभुता' और 'स्वतंत्रता' शब्दों पर जोर दिया गया है। इस संविधान में 'सम्प्रभुता' शब्द का उल्लेख कई बार आया है। हालांकि 'सम्प्रभुता', 'सम्प्रभु', 'अखंडता' और 'स्वतंत्रता' शब्दों का बार-बार उल्लेख विश्व के कई संविधानों में आम है, किंतु नेपाल के मामले में इसे इसकी भौगोलिक अवस्थिति और हाल ही में घटित

लोकतांत्रिक आन्दोलनों के संदर्भ में महसूस की गई असुरक्षा की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है।

धर्मनिरपेक्षता

'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को संविधान में बनाए रखा गया है। "नेपाल एक स्वतंत्र, अखण्ड, सम्प्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समग्रतावादी, लोकतांत्रिक, समाजवाद-अभिमुख संघीय लोकतांत्रिक गणराज्यीय राष्ट्र है" (अनुछेद-4 खण्ड-1)। यहां, संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ भी स्पष्ट करता है। धर्मनिरपेक्ष का अभिप्राय है "प्राचीनकाल से पालन किए जा रहे धर्म व संस्कृति की सुरक्षा और धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता।" (अनु 4 भाग-1)। अनुच्छेद 26(1) में उल्लेख है, "प्रत्येक व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार अपना धर्म स्वीकार करने, उसका पालन करने और उसे परिरक्षित रखने के लिए स्वतंत्र होगा।"

हिन्दू राष्ट्र की मांग संविधान सभा (सीए) के सदस्यों के बहुमत द्वारा अस्वीकार कर दी गई। वर्ष 1962 में, पंचायत संविधान ने औपचारिक रूप से नेपाल को एक हिन्दू अधिराज घोषित किया और साथ ही, सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करने के लिए जातीय पदक्रम के तर्क को खारिज कर दिया। नेपाल को कई वर्षों के विद्रोह के बाद वर्ष 2007 में प्रख्यापित अंतरिम संविधान के तहत 'धर्मनिरपेक्ष' घोषित किया गया।

भाषा

संविधान के अनुच्छेद 6 में उल्लेख है कि राष्ट्र की भाषा में नेपाल में बोली जाने वाली सभी मातृभाषाएं शामिल रहेंगी। अनुच्छेद 7 में उल्लेख है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई नेपाली भाषा नेपाल में व्यावसायिक भाषा होगी। नेपाली भाषा के अतिरिक्त, प्रांतों को उस प्रांत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक या अधिक भाषा/भाषाओं को सरकारी काम-काज की भाषा के रूप में चुनने का अधिकार होगा [अनुच्छेद 7 (2)]।

[अनुच्छेद 7(3)] में उल्लेख है कि नेपाल की सरकार भाषा आयोग की संस्तुति पर भाषा के मामले पर निर्णय करेगी। नेपाली लोग 100 से भी अधिक भिन्न-भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं।

नागरिकता

नागरिकता - (क) अनुच्छेद 10 (1) में उल्लेख है, "किसी भी नेपाली नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने से मना नहीं किया जाएगा।" अनुच्छेद 10 (2) में प्रांतीय पहचान के साथ एकल संघीय नागरिकता के प्रावधान का उल्लेख है।

(ख) कोई भी व्यक्ति जिसने संविधान 2015 (अनुच्छेद 11, 2-क) के प्रारंभ/लागू होने से पहले वंश के आधार पर नेपाली नागरिकता प्राप्त की है, अथवा कोई भी व्यक्ति, जिसके पिता अथवा माता ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय नेपाल के नागरिक थे (अनुच्छेद 11, 2-ख) और उसका स्थायी निवास नेपाल में है, तो उसे नेपाल का नागरिक माना जाएगा।

(ग) यह दिलचस्प है कि नेपाल में पाया गया प्रत्येक बच्चा, जिसके पितृत्व अथवा मातृत्व का अता-पता ज्ञात न हो, वंश के आधार पर तब तक नेपाल का नागरिक रहेगा जब तक माता अथवा पिता का पता न चल जाए। [अनुच्छेद 11 (4)]

(घ) अनुच्छेद 11 (5) में उल्लेख है कि किसी नेपाली नागरिक माता से पैदा हुआ कोई व्यक्ति, जिसके नेपाल निवासी पिता का अता-पता न हो तो उसे वंश के आधार पर नेपाली नागरिक माना जाएगा।

(ड.) मुख्य संवैधानिक पद वंश के आधार पर नागरिकताप्राप्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

(च) कोई विदेशी महिला किसी नेपाली नागरिक से विवाह के बाद ही नेपाल की देशीयकृत नागरिकता प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी [अनुच्छेद 11 (6)]। इसके अलावा, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसका जन्म किसी विदेशी नागरिक की विवाहिता किसी नेपाली महिला नागरिक से हुआ हो तो वह वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। यह धारा मधेसियों के संबंध में भेद-भावपूर्ण है [अनुच्छेद 11 (7)]

(छ) अनुच्छेद 14, जिसमें नेपालियों को अनिवासी नेपाली नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान का वर्णन है, मधेसियों के पक्ष में नहीं है। इस अनुच्छेद में उल्लेख है, "वह व्यक्ति जिसने किसी बाहरी देश की नागरिकता प्राप्त की है और जो सार्क देश को छोड़कर किसी अन्य देश में रह रहा है और वह (व्यक्ति) अथवा उसके पिता अथवा माता, दादा अथवा दादी वंश के आधार पर अथवा जन्म से नेपाल के नागरिक थे, और बाद में किसी बाहरी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उन्हें नेपाल की अनिवासी नागरिकता दे दी जाएगी, जिससे उन्हें संघीय कानून में दिए गए प्रावधान के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हो जाऐंगे।" मधेसियों को लाभ हो सकता था, यदि इस सूची में सार्क देश शामिल कर लिये जाते।

(ज) तराई क्षेत्र के लोग, विशेषकर बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा क्षेत्र में रहने वाले मधेसी और भारतीय नागरिक, जहां सीमा-पार विवाह आम हैं, और जिन्हें *रोटी-बेटी का रिश्ता* के लिये जाना जाता है, वे सबसे बुरी तरह से प्रभावित होंगे। कई लोगों का मानना है कि नेपाल में भारतीय "जनसांख्यिकीय अतिक्रमण" के डर ने नेपाल के कानून निर्माताओं को वंश के आधार पर मिलनेवाली नागरिकता की चली आ रही धारा को

संशोधित करने पर बाध्य कर दिया। यहां नेपाल और भारत (के दृष्टिकोण) में अंतर है; भारत दोनों देशों के बीच अद्वितीय और विशेष संबंधों के पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन को प्रमुख कारकों में से एक मानता है, जबकि नेपाल इसे अपनी पहचान पर खतरे के रूप में देखता है। आगे चलकर, यह परिवर्तित नियम नेपाल में भारतीय प्रभाव को कम करने में नेपाल की सहायता कर सकता है।

(झ) अनुच्छेद 12 में 'वंश पर आधारित नागरिकता और स्त्री-पुरूष पहचान के साथ नागरिकता' के प्रावधान के लिए संविधान सभा (सीए) द्वारा प्राप्त एक संशोधन प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया।

मौलिक अधिकार

इस संविधान में कुछ नए मौलिक अधिकार शामिल किये गए हैं। इनमें प्रतिष्ठा से जीने का अधिकार, भोजन का अधिकार (अंतरिम संविधान 2007 में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबद्ध अधिकार खण्ड के तहत खाद्य सम्प्रभुता के अधिकार की भी एक धारा थी), वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार, अपराध के शिकार व्यक्तियों के अधिकार और उपभोक्ता अधिकार शामिल हैं। प्रकाशन और प्रसारण के अधिकार को संचार अधिकार के अंतर्गत रखा गया है।

"अनुच्छेद 19 (3) में उल्लेख है, "प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और टेलीफोन सहित संचार के किसी भी साधन को बाधित नहीं किया जाएगा, केवल कानून के अनुरूप ही ऐसा किया जा सकेगा।" आवास के अधिकार के तहत, प्रत्येक नागरिक को उपयुक्त आवास का अधिकार है [अनुच्छेद 37(1)]। उपभोक्ताओं को स्तरीय खाद्य पदार्थों और सेवाओं का अधिकार है [अनुच्छेद 44(1)]। अनुच्छेद 41 में उल्लेख है कि वरिष्ठ नागरिकों को राज्यों से (प्राप्त) विशेष रक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

संघीय संसद

इस देश में संघीय संसद होगा, जिसमें दो सदन होंगे - प्रतिनिधि सदन और राष्ट्रीय सभा (अनुच्छेद 83)। प्रतिनिधि सदन में 275 सदस्य होंगे, जिनमें से 165 प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, जबकि 110 सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली से चुने जाएंगे।

प्रत्येक नेपाली नागरिक, जिसने 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, को वोट देने का अधिकार होगा। कोई भी नेपाली नागरिक, जो चुनाव में मतदान करने का पात्र हो, जिसने प्रतिनिधि सदन के लिए पच्चीस वर्ष और राष्ट्रीय सभा के लिए पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो; जिसे नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए सजा न दी गई हो; जो किसी कानून के तहत अपात्र न हो; और जो किसी लाभ के पद पर न हो, संघीय संसद का सदस्य बनने का पात्र होगा (अनुच्छेद 87)।

नए संविधान के अनुच्छेद 84 (1 क) और अनुच्छेद 286 (5) एवं (6) के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र भूगोल और जनसंख्या पर आधारित होगा। यह अंतरिम संविधान (अनुच्छेद 63) में किया गया एक ऐसा बदलाव है, जो मधेसियों के पक्ष में नहीं है। अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 63 (3) में "जनसंख्या की समानता, भौगोलिक आत्मीयता और विशिष्ठता और मधेसी में जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर मिश्रित चुनावी प्रणाली के अनुरूप, जैसा कि कानून में प्रावधान है, के आधार की व्यवस्था थी।"[1]

प्रान्तीय सभा

प्रान्त में एक-सदनीय विधान सभा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 176 में उल्लेख है, "प्रान्तीय सभा के साठ प्रतिशत सदस्य फस्ट–पास्ट-द-पोस्ट चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुने जाएंगे, जबकि 40 प्रतिशत सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाऐंगे।

प्रत्येक नेपाली नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिसका किसी प्रान्त में निवास स्थान है, चुनावों में अपने मत का प्रयोग करने का पात्र है।"

संघीय और प्रान्तीय कार्यकारिणी

देश की कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद के पास रहेंगी (अनुच्छेद 75), जबकि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 76 (9) में उल्लेख है, "प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद का गठन करेंगे, जिसमें समावेश सिद्धांत के आधार पर संघीय संसद के सदस्यों में से अधिकतम 25 सदस्य होंगे।"

प्रधानमंत्री और मंत्रीगण संघीय संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेवार होंगे, जबकि मंत्री प्रधानमंत्री और संघीय संसद के प्रति जवाबदेह होगा [अनुच्छेद 76 (10)]। प्रान्त की कार्यकारी शक्ति उस प्रान्त के मंत्री परिषद के पास होगी। प्रत्येक प्रांत में एक प्रान्तीय अध्यक्ष होगा। संघीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

न्यायपालिका

नेपाल में तीन न्यायालय होंगे- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय। अनुच्छेद 128 (2) में उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय के पास संविधान और कानून की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होगा। मुख्य न्यायाधीश के अलावा, नेपाल के उच्चतम न्यायालय में 20 अन्य न्यायाधीश होंगे [अनुच्छेद 29 (1)]। किसी निश्चित/निर्धारित अवधि के लिए अधिकतम 10 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है [अनुच्छेद 29 (1)] ।

प्रत्येक प्रांत में एक उच्च न्यायालय होगा और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा।

संघ, प्रांतों और स्थानीय स्तरों के बीच अंतर-संबंध

संघ, प्रांतों और स्थानीय स्तर के बीच संबंध सहयोग, सह-अस्तित्व और समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित होंगे [अनुच्छेद 232 (1)]। नेपाल सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों के संबंध में प्रांतों को आवश्यक निदेश जारी कर सकती है और संबंधित प्रांत ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे। [अनुच्छेद 232(1)] यदि कोई प्रांत किसी ऐसे कृत्य में संलिप्त है, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता हो तो राष्ट्रपति को उस प्रांत की मंत्रीपरिषद और प्रांतीय सभा को स्थगित अथवा भंग करने का अधिकार होगा [अनुच्छेद 232 (3)]। लेकिन ऐसी कार्रवाई संघीय संसद के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए [अनुच्छेद 232 (4)]।

संघ तथा प्रांतों और प्रांतों के बीच आपसी राजनैतिक विवादों का हल करने के लिए अंतर-प्रांतीय परिषद की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। संघीय सरकार को संघ, प्रांतों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक कानून बनाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 236 में उल्लेख है, "नेपाल के एक प्रांत अथवा स्थानीय स्तर से किसी दूसरे प्रान्त अथवा स्थानीय स्तर को माल अथवा सेवाओं के निर्यात और आयात में और किसी भी प्रान्त अथवा स्थानीय स्तर के क्षेत्र के माध्यम से दूसरे प्रान्त अथवा स्थानीय स्तर को किसी माल अथवा सेवाओं के परिवहन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा पहुंचाने अथवा कर लगाने अथवा भेद-भाव की कार्रवाई नहीं की जाएगी।" अंतर-प्रांतीय व्यापार पर कोई कर न लगाना भारत-नेपाल व्यापार के संवर्धन के लिए अच्छा है।

आपातकालीन शक्तियां

राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यदि नेपाल की सम्प्रभुता अथवा क्षेत्रीय अखंडता अथवा देश के किसी भाग में सुरक्षा समस्या से संबंधित कोई गंभीर आपात स्थिति पैदा हो जाए। अनुच्छेद 273 (1) में उल्लेख है, "यदि नेपाल की सम्प्रभुता अथवा क्षेत्रीय अखंडता अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा से संबंधित कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, चाहे यह युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अति गंभीर आर्थिक व्यावधान, प्राकृतिक आपदा अथवा महामारी के प्रकोप के कारण हो, तो राष्ट्रपति, उद्घोषणा अथवा आदेश द्वारा नेपाल अथवा इसके किसी विशिष्ट भाग में आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं।"

संविधान में संशोधन

यह संविधान लचीला है; इसे संसद सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 273 (1) में उल्लेख है, "यह संविधान उस तरीके से संशोधित नहीं किया जा सकेगा जो नेपाल के स्वशासन, सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और लोगों में निहित सम्प्रभुता के प्रतिकूल हो।" किसी प्रांत की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर संबंधित प्रांतीय सभा में सहमति तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसा संघीय विधायिका में इस विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के समय से तीस दिनों के भीतर करना होगा [अनुच्छेद 274(4)]।

इसके अलावा अनुच्छेद 275 इस बात पर जोर देता है कि, "सभा को तीन महीनों के भीतर सहमति विधेयक को प्रांतीय सभा के बहुमत के माध्यम से पारित अथवा रद्द करवाना होगा और इसके संबंध में सूचना संघीय विधायिका के पास अग्रेषित करना होगा।"

संघवाद: एक प्रमुख विवादास्पद मुद्दा

देश के नए संघीय ढांचे में, नेपाल में सात प्रांत होंगे। मधेसी, थारू और जनजाति ने यह महसूस किया कि संघवाद के संबंध में उनकी मांग पर द्वितीय संविधान सभा (सीए) में समुचित ध्यान नहीं दिया गया। वे मधेसी और थारू की बहुलता वाले दो अलग राज्य चाहते हैं। इन राज्यों में मैदानी क्षेत्र शामिल होना चाहिए। मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया राज्य उन्हें स्वीकार्य नहीं है। मधेसी और थारू सात प्रांतों के मॉडल के विरूद्ध तभी से विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं जब से इस मॉडल को प्रमुख दलों द्वारा अपनाया गया था।

मधेसी और थारू की मांगे निम्नलिखित हैं:[2]

(क) झापा, मोरांग और सुनसारी को राज्य 2 में शामिल करना। सात प्रांत योजना में ये पूर्वी जिले राज्य 1 के हिस्से हैं,

(ख) चितवन (राज्य 3) और नवलपरासी (राज्य 5) राज्य 2 के हिस्से होने चाहिए, और

(ग) राज्य 7 के कैलाली और कंचनपुर राज्य 5 में शामिल होने चाहिए।

चित्रण 1: नेपाल के सात प्रांत (स्रोत: sojho.com)

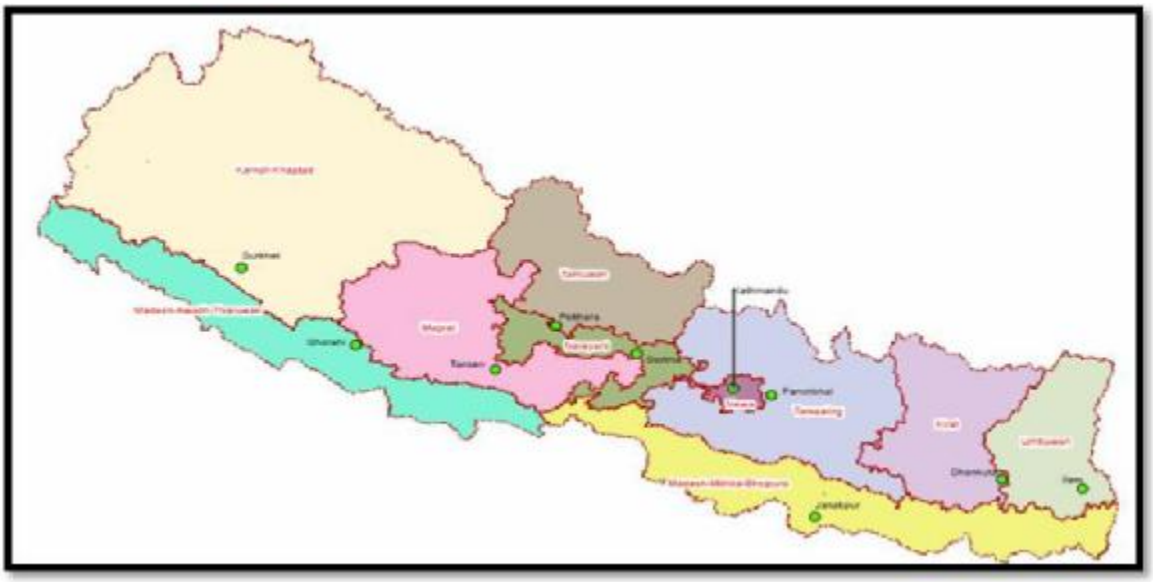

चित्रण 2: संघीय प्रांतों का एक मधेसी मॉडल* (madhesiyouth.com पर यथा-उपलब्ध)
स्रोत: madhesiyouth.com,

*यह वही नक्शा है जो राज्य पुनर्गठन समिति द्वारा वर्ष 2012 में प्रस्तुत किया गया था।

"मधेसी, जो 1950 के दशक के बाद से अपनी अलग पहचान के लिए संघीय एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, वे पहचान पर आधारित राज्यों के संघीय पुनर्गठन का समर्थन करते हैं। 1950 के दशक के दौरान, मधेसियों ने अपनी सीधी स्वायत्ता की लड़ाई लड़ी। 1980 के दशक में, "सदभावना पार्टी ने पर्वतीय प्रशासन से मधेसी की स्वायत्ता की मांग की, लेकिन उसे काठमांडू द्वारा ठुकरा दिया गया

था। वर्ष 2007 के दौरान, मधेसियों ने संघवाद के उद्देश्य के लिए 21 दिनों का लंबा व्यापक आंदोलन चलाया, जिसे मधेस विद्रोह के नाम से जाना गया। वर्ष 2008 में, मधेसी बहुल क्षेत्र को एक एकल, स्वायत्त मधेस प्रांत में बदलने के उद्देश्य से तीन दलों - मधेसी जनाधिकार मंच (एमजेएफ), तराई मधेस लोकतांत्रिक दल (टीएमएलपी), और सद्भावना दल - ने हाथ मिलाया।

नेपाल में संवैधानिक विकास का घटनाक्रम

1768: नेपाल में संवैधानिक विकास का इतिहास 1768 से प्रारंभ होता है जब नेपाल राष्ट्र का निर्माण हुआ था। 'राजसी अध्यादेशों और प्रमुख हिन्दू शास्त्रों ने इस देश का कानून बनाया।'

1854: मुलूकी एन – आम व्यवहार में हिंदू कानूनों के परंपरागत दृष्टिकोण के संहिताकरण (कोडीकरण) - को वर्ष 1854 में नरेश सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह द्वारा आख्यापित किया गया।[3] यह कोड अनेक वर्षों तक नेपाल में 'न्याय प्रबंध' का मुख्य स्रोत बना रहा।

1948: 'पद्म शमशेर द्वारा घोषित' नेपाल सरकार अधिनियम, 1948 लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने वाली प्रथम वैधानिक व्यवस्था थी। यह अधिनियम द्विसदनी वैधानिक निकाय वाली संसदीय प्रणाली की रूप-रेखा विकसित करने का एक प्रयास था। बहरहाल, प्रधानमंत्री को दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चयन करने और विधायिका द्वारा पारित किये जाने के बावजूद किसी भी 'कदम' को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था।

1951: भारत के विधि विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किए गए अंतरिम नेपाल सरकार अधिनियम, 1951 द्वारा नरेश के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकारों को स्थापित किया गया। इस अधिनियम में "व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जांच एवं संतुलन, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन इत्यादि के सिद्धांतों को समाहित किया गया।"[4]

1959: 12 फरवरी 1959 को घोषित नेपाल अधिराज का संविधान दो वर्षों से अधिक कायम नहीं रहा। 'लोकतांत्रिक व्यवस्था' के बावजूद, इस संविधान में नरेश को अबाध विवेकाधिकार और आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गईं। 18 फरवरी 1959 को संविधान के आख्यापन के एक सप्ताह के भीतर प्रथम विधान मंडल का चयन वयस्क मतदान के माध्यम से किया गया। नेपाली कांग्रेस ने चुनाव जीता और इसके नेता बी.पी. कोइराला लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बने।

1962: नरेश महेन्द्र द्वारा 1962 के संविधान की घोषणा। इस संविधान द्वारा केंद्रीय एकसदनी वैधानिक निकाय - नेशनल राष्ट्रीय पंचायत - की स्थापना हुई, जिसके पास केवल परामर्शदात्री शक्तियां थीं। देश के गांव में प्रचलित, पांच पंचों की संकल्पना का चार-स्तरीय प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार किया गया। नेपाल के संविधान में 1962, 1967, 1975 और 1980 में संशोधन किए गए।

1980: मई 1980 में यह तय करने के लिए एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराया गया कि क्या जनता बहुदलीय लोकतंत्र प्रणाली में वापस जाना चाहती है, अथवा पंचायत प्रणाली को सुधारों सहित बनाए रखना चाहती है। इस जनमत संग्रह में पंचायत प्रणाली में सुधार का पक्ष लिया गया। 1990 संशोधन द्वारा राष्ट्रीय विधान-मंडल के प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव प्रारंभ किया गया।

1990: बहुदलीय प्रणाली की मांग के लिए सुदृढ़ जन विद्रोह - जन आंदोलन - हुआ। नरेश विरेन्द्र ने राजनैतिक दलों पर से प्रतिबंध उठा लिया, एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव की अनुमति दी और विभिन्न पंचायत निकायों को निरस्त कर दिया। नेपाली कांग्रेस के नेता के.पी. भट्टराई के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेपाली कांग्रेस, साम्यवादी दल के प्रतिनिधियों और राजसी प्रतिनिधियों वाले एक नौ-सदस्यीय संविधान सुधार आयोग की घोषणा की गई। नेपाल अधिराज का संविधान, 1990 नरेश विरेन्द्र द्वारा नवम्बर में आख्यापित किया गया।

2007: वर्ष 2007 में नेपाल के अंतरिम संविधान की घोषणा की गई। प्रमुख राजनैतिक दलों के बीच के समझौता दस्तावेज के रूप में प्रसिद्ध इस अंतरिम संविधान ने राजतंत्र को गणतंत्र में बदल दिया। अंतरिम संविधान के तहत, राष्ट्रपति इस गणतंत्र के औपचारिक प्रमुख बने, जबकि कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली मंत्रीपरिषद में निहित थी। अंतरिम संविधान में "601 सदस्यीय संविधान सभा (सीए) के चुनाव की व्यवस्था थी और इसके पास नया संविधान लागू होने तक संसद के रूप में कार्य करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी थी।"[5]

2008: प्रथम संविधान सभा ने 28 मई, 2008 से 28 मई, 2012 तक कार्य किया। प्रथम संविधान सभा (सीए) का मूल कार्यकाल दो वर्षों का था और नेपाल के संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु समय सीमा मई 2010 थी। लेकिन कार्यकाल बार-बार बढ़ाने के बाद भी संविधान सभा (सीए) संविधान का प्रारूप तैयार करने में असफल रही। कार्यावधि में चार लगातार विस्तारों के बाद उच्चतम न्यायालय ने आगे विस्तार देने से इनकार कर दिया और संविधान सभा (सीए) का कार्यकाल 28 मई, 2012 को समाप्त हो गया।

2013: एक नया संविधान पारित करने में प्रथम संविधान सभा के असफल रहने के बाद वर्ष 2013 के संविधान सभा चुनावों के परिणामस्वरूप द्वितीय नेपाली संविधान सभा का गठन किया गया।

2015: 20 सितम्बर 2015 को नेपाल ने एक नया संविधान आख्यापित किया।

स्रोत: नेपाल में संवैधानिक गतिविधि का घटनाक्रम, http://www.constitutionnet.org/files/Timeline.pdf; नेपाल में न्यायपालिका, http://www.supremecourt.gov.np/main.php?d=general&f=preliminaries; नेपाल में 1990 में संविधान बनाया जाना और इसे लागू करना (भाग 1) http://www.constitutionnet.org/news/1990-constitution-making-nepal-and-its- implementation-part-1

नए संविधान का आख्यापन – नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधान मंत्री तथा अन्य महत्वपूर्ण राजनैतिक नेताओं की टिप्पणियां

राष्ट्रपति रामवरण यादव

राष्ट्रपति ने नेपाल के नए संविधान के आख्यापन के बाद बधाई और शुभकामनाएं दी। "नेपाल की जनता के लंबे संघर्ष और आकांक्षाओं ने अंतत: वास्तविक मूर्त रूप ले लिया।" राष्ट्रपति ने पहाड़ियों, पर्वतों और तराई के लोगों के बीच एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। "यह नया संविधान समानता के आधार पर सभी क्षेत्रों और समुदायों की आकाक्षांओं और पहचान की रक्षा करेगा" राष्ट्रपति यादव ने कहा।[6]

प्रधानमंत्री सुशील कोइराला

प्रधानमंत्री कोइराला ने कहा, "नया संविधान आख्यापित हो चुका है। हमें स्थिरता, सहमति और सम्पन्नता का नया युग प्रारंभ करना है। मैं नेपाल की जनता को बधाई देता हूं।" प्रधानमंत्री कोइराला का विचार था कि नया संविधान देश के विभिन्न समूहों के बीच 'एकता को मज़बूत करने' का एक अवसर है। प्रधानमंत्री कोइराला ने कहा, "हम विचार विमर्शों और वार्ताओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, समग्रता और क्षेत्रों के सीमांकन के मुद्दों को सुलझा सकते हैं।"[9]

यूएलपीएन (माओवादी) वरिष्ठ नेता बाबू राम भट्टराई

20 **सितम्बर**, 2015 **को** - 20 सितम्बर की शाम को नए संविधान के आख्यापन के बाद बाबू राम भट्टराई ने टिप्पणी दी कि यह उत्सव मनाने का अवसर नहीं है।[8] उन्होंने कहा, "राष्ट्र की आधी जनता नए संविधान से असंतुष्ट है, अत: यह उत्सव मनाने का अवसर नहीं है।"[9]

24 **सितम्बर**, 2015 **को** - मधेसी नेताओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए बाबू राम भट्टराई ने कहा कि मधेस समस्या राजनैतिक बातचीत के माध्यम से सुलझाई जानी चाहिए। एक प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा, "पहाड़ी और पर्वत के निवासियों को चैन से नहीं सोना चाहिए (और वे सो भी नहीं सकते) जब तराई-मधेस जो देश की आधी जनसंख्या है, जल रहा है।"[10] मधेस-आधारित दलों की प्रमुख मांगें और संविधान सभा में असंतोष संबंधी हमारी टिप्पणी समान प्रकृति की हैं। इसलिए मैं उनकी मांगों के प्रति अपना सर्मथन और एकजुटता प्रदर्शित करता हूं" भट्टराई ने उस वक्तव्य में कहा।[11]

26 **सितंबर**, 2015 **को** – बाबू राम भट्टराई ने अपने दल यूसीपीएम (माओवादी) से अपना नाता तोड़ लिया और संसद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया।" मैने पार्टी छोड़ने के अपने निर्णय से पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल को अवगत करा दिया है।" उन्होंने यह भी कहा कि संसद छोड़ने के उनके निर्णय के बारे में संविधान सभा (सीए) अध्यक्ष, सुबास चन्द्र नेमबांग को बता दिया गया है।

नेपाली कांग्रेस उपाध्यक्ष राम चन्द्र पुडेल

श्री पुडेल ने कहा कि नया संविधान सभी नेपाली लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रगतिशील है। "भगवान भी अधूरे हैं। संविधान ने जनता के आंदोलन के माध्यम से लाए गए हमारे परिवर्तनों को संस्थापित कर दिया है। अब सभी नेपालियों को कामना करनी चाहिए कि नेपाल एक संपन्न देश बने"[13] पुडेल ने कहा।

के. पी. ओली, अध्यक्ष यू एम एल

के. पी. ओली ने कहा, "कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है और नाराज दलों की मांगों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नए संविधान का आख्यापन सभी की जीत है और मैं आन्दोलनकारी पक्षकारों से अनुरोध करूंगा कि वे इस उत्सव का जश्न मनाने में हमारा साथ दें।"[14] ओली ने कहा कि नए संविधान ने संघवाद, गणतंत्र और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को संस्थापित किया है।[15] कुछ राजनैतिक दल संविधान के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं।

पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड, माओवादी नेता

माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने कहा, "यदि इस नए संविधान में अंतर्निहित संघवाद से कोई समुदाय लाभान्वित हुआ है तो वह मधेसी समुदाय है। मधेसियों के पास अब उनकी अपनी पहचान आधारित संघीय प्रांत है और इस संविधान ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व और नागरिकता के संबंध में उनकी चिंताओं का समाधान कर दिया है।" उन्होंने आगे कहा, "हमें पता है कि मधेसी, थारू और जनजाती समुदायों के कुछ वर्गों के मन में नए संविधान को लेकर अभी भी प्रश्न हैं, हम बातचीत के माध्यम से उनका उत्तर दे सकते हैं।" नेपाल, नेपाल का विश्वासी मित्र है और नेपाल के, नेपाल के विरूद्ध जाने का कोई कारण नहीं है। नेपाल को इस सच्चाई को समझना होगा, उन्होंने कहा।

मधेसी, थारू और जनजाती नेता

मधेसी जनाधिकार मंच-लोकतांत्रिक अध्यक्ष, विजय कुमार गछाधर ने तीन प्रमुख दलों से मधेसी और थारू की चिंताओं पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान तलाशने के लिए हमेशा तैयार हैं।

सदभावना पार्टी के अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ने कहा "संविधान ने अंतरिम संविधान और मधेसी एवं अन्य बलों के साथ हस्ताक्षरित पुराने करारों का सम्मान नहीं किया।" "हम अपने अगले कदम/कार्रवाई पर निर्णय लेंगे और हमारा विरोध ज्यादा प्रभावकारी होगा, "[16] उन्होंने आगे कहा।

थारूहाट तराई पार्टी, नेपाल संविधान सभा (सीए) अध्यक्ष गोपाल दहित ने कहा, "यह संविधान, संविधान में उल्लिखित रोजगार का अधिकार और सामाजिक न्याय का अधिकार धाराओं के तहत मधेसी, थारू तथा अन्य उपेक्षित समुदायों का अनुपातिक समावेश सुनिश्चित नहीं करता।"[17]

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय (भारत को छोड़कर) की प्रतिक्रिया

प्रमुख शक्तियों और पड़ोसियों ने नए संविधान के आख्यापन के लिए नेपाल को बधाई दी। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशों ने नेपाल में जारी हिंसा के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं और समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया।

संयुक्त राष्ट्र

नेपाल के नए संविधान के आख्यापन को स्वीकारते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की-मून ने नेपाल के कुछ हिस्सों में हाल की हिंसा के संबंध में चिंता व्यक्त की। महासचिव महोदय ने मेल-मिलाप के लिए अहिंसा और बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। "महासचिव महोदय ने नेपाल में नए संविधान को अंगीकार किये जाने को स्वीकार

किया। यह संज्ञान लेते हुए कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से व्यापक राष्ट्रीय हित में और संधारणीय लचीलेपन एवं समग्रता के साथ कार्य करने का आग्रह किया,"[18] उनके प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने न्यूयार्क में कहा। उन्होंने आगे कहा, "नेपाल की जनता एक शान्तिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक नेपाल चाहती है और वह इसकी हकदार है।"[19]

चीन

चीन ने नए संविधान के आख्यापन पर नेपाल को बधाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंग लेइ ने कहा, "चीन नए संविधान के आख्यापित होने पर नेपाल को हार्दिक बधाई देता है और आशा करता है कि नेपाल राष्ट्रीय एकता, स्थिरता और विकास को मूर्त रूप देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगा। चीन नेपाल के साथ संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और द्विपक्षीय मैत्रीपूर्ण सहयोग को और घनिष्ठ बनाने और अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ नेपाल के आर्थिक तथा सामाजिक क्किास में सहायता देने के लिए तैयार है।"[20]

बांग्लादेश

19 सितम्बर, 2015 को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नेपाल की जनता को उनके संविधान के आख्यापन के अवसर पर बधाई दी।[21]

पाकिस्तान

पाकिस्तान ने नेपाल के नए संविधान के आख्यापन का स्वागत किया। 21 सितम्बर, 2015 को पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पाकिस्तान सरकार ने इस उपलब्धि पर नेपाल का स्वागत किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नया संविधान अंगीकार किये जाने पर नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बधाई दी। "हम इस उपलब्धि पर नेपाल की सरकार और राजनैतिक दलों का स्वागत करते हैं। पाकिस्तान को भरोसा है कि नया संविधान नेपाल में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करेगा," पाकिस्तान के नेतृत्व ने पुष्टि की।[22]

मालदीव

23 सितम्बर, 2015 को मालदीव के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक वक्तव्य में मालदीव के विदेश मंत्री दून्या मौमून ने नए संविधान के आख्यापन पर नेपाल की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा, "निश्चित संवैधानिक दिशा प्राप्त करने के साथ ही, मुझे आशा है कि नेपाल (अपने) राष्ट्र की शांति, आर्थिक विकास और

सम्पन्नता की खोज में आगे बढ़ने[23] में समर्थ होगा।[24]

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए संविधान के आख्यापन पर नेपाल की जनता को बधाई दी - यह कदम नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, "सरकार को सभी नेपालियों के विचारों को समाहित करने के प्रयास जारी रखने होंगे और सुनिश्चित करना होगा कि यह संविधान स्त्री-पुरूष/लिंग समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिकता का अधिकार सहित विश्व भर में स्वीकार्य मानकों और सिद्धांतों के अनुरूप बना रहे।"[25] किर्बी ने शांतिपूर्ण तथा अहिंसक तरीकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करते रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।[26]

यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने कहा कि नेपाल के नए संविधान का आख्यापन नेपाल की जनता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी क्योंकि यह शांति समझौते का परिणाम है। प्रवक्ता ने कहा, "इस लंबी प्रक्रिया का समापन नेपाल में भविष्य में राजनैतिक स्थिरता और आर्थिक विकास की नींव रखेगा।"[27] नेपाल में व्याप्त अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रवक्ता ने कहा, "यूरोपीय संघ सभी पक्षकारों से बातचीत तथा समझौते के माहौल में नेपाली नागरिकों की लंबित चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने की आशा रखता है।"[28]

जीन लैम्बर्ट, अध्यक्ष, दक्षिण एशियाई देश संबंध प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल के नए संविधान के आख्यापन का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "आशा है कि अब यह स्थिरता, शांति और विकास के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगा। नेपाल पहले ही विनाशकारी भूकंपों के कारण अत्यधिक नुकसान उठा चुका है और यह नया संविधान पुनर्निर्माण और उत्थान की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। यह संविधान नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक नए प्रारंभिक बिंदु का संकेतक है।"[29] दक्षिण एशियाई देशों से संबंध हेतु यूरोपीय संसद प्रतिनिधिमंडल ने एक ऐसा देश होने पर नेपाल को बधाई दी जिसका संविधान समलैंगिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।[30]

फ्रांस

फ्रांस ने नेपाल के नए संविधान का स्वागत किया, जो वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई राजनैतिक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लागू हुआ। 20 सितम्बर, 2015 को नेपाल में फ्रांस दूतावास द्वारा जारी वक्तव्य में उल्लेख था," यह

राष्ट्रीय मेल-मिलाप को बनाए रखने, राजनैतिक स्थिरता की बहाली और विकास के मार्ग पर लौटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"[31]

नॉर्वे

22 सितम्बर, 2015 को काठमांडू में नॉर्वे दूतावास द्वारा जारी एक वक्तव्य में नॉर्वे ने नए संविधान के आख्यापन पर नेपाल को बधाई दी। इस वक्तव्य में उल्लेख था, "यह नेपाल के इतिहास और लोकतांत्रिक विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नार्वे भविष्य में नेपाल के सामाजिक और आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए इस संविधान को शांतिपूर्ण तरीके से लागू करने में नेपाल के सभी राजनैतिक दलों और समूहों के नेतृत्व को मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है।"[32] उन्होंने आगे कहा, "हम सभी नागरिकों और सभी पक्षकारों से आग्रह करते हैं कि वे बातचीत और शांतिपूर्ण, अहिंसक तरीकों के माध्यम से और संयम बरतते हुए कार्य करें।[33]

ब्रिटेन

यूनाइटेड किंगडम ने 16 सितम्बर, 2015 को एक नए संविधान के आख्यापन के लिए नेपाल द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। एशिया मंत्री, ह्यूगो स्वायर ने कहा, "हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरण का गहराई से अवलोकन कर रहे हैं। हमें आशा है कि नया संविधान समग्रतावादी, सर्व-समर्थित होगा और यह समानता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा।"[34] उन्होंने सभी नागरिकों से संयम बरतने तथा शान्ति व अहिंसा का पालन करने का आग्रह किया।

जर्मनी

जर्मनी ने लोकतांत्रिक, समग्रतावादी और संघीय संविधान के लिए नेपाल को बधाई दी। 22 सितम्बर, 2015 को एक वक्तव्य जारी करते हुए वित्त मंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर ने कहा, "मैं संविधान सभा द्वारा नेपाल में नए संविधान के आख्यापन का स्वागत करता हूं। यह मेल-मिलाप तथा लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।"[35]

जापान

जापान ने नेपाल के नए संविधान के आख्यापन का स्वागत किया। जापानी विदेश मामलों के मंत्री श्री फूमियो कीशिदा द्वारा 16 सितम्बर, 2015 को जारी वक्तव्य में कहा, "जापान ने हमेशा नेपाल में राजनैतिक स्थिरता की कामना की है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र को सुरक्षित रखने, शांति

स्थापना तथा संपन्नता के लिए नेपाल और विकास करेगा।"

इस वक्तव्य में आगे उल्लेख था, "जापान आशा करता है कि नेपाल नए संविधान के माध्यम से नेपाल में राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित करके लोकतंत्र, शांति स्थापना और आर्थिक विकास में प्रगति करेगा।"[36] यही वक्तव्य जापान दूतावास, काठमांडू की वेबसाइट पर छोटे, किन्तु उल्लेखनीय फेर-बदल के साथ उल्लिखित है।

जापान के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध वक्तव्य में कहा गया है, "**जापान आशा करता है** कि नेपाल नए संविधान के माध्यम से नेपाल में राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित करके लोकतंत्र, शांति-स्थापना और आर्थिक विकास में प्रगति करेगा"(16 सितम्बर, 2015)।

काठमांडू में जापान दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध वक्तव्य में कहा गया है, "**जापान सरकार यह देखने की आशा करती है** कि नेपाल नए संविधान के माध्यम से नेपाल में लोकतंत्र, राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित करके लोकतंत्र, शांति-स्थापना तथा आर्थिक विकास में प्रगति करेगा।"(18 सितम्बर, 2015)।

रूस

रूस ने 21 सितम्बर, 2015 को अपने विदेश मंत्रालय के प्रेस एवं सूचना विभाग द्वारा जारी वक्तव्य में कहा, "इस नए संविधान ने 1996-2006 के दौरान घरेलू संघर्ष के परिणामों के समाधान के मुख्य चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने का सूत्रपात किया है। मौलिक कानून, जो सामान्य स्वीकार्य मानकों के पूरी तरह अनुरूप है, का अनुमोदन एक सम्प्रभु और लोकतांत्रिक देश के रूप में नेपाल में शांति तथा स्थिरता और इसकी एकता सुदृढ़ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। हम नेपाल से आगे सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिसके साथ रूस के दीर्घकालिक संबंध रहे हैं।"[37]

भारत की प्रतिक्रिया

भारत ने नेपाल के लोगों को शुभकामनाएं दी। नेपाल में संविधान निर्माण का जोरदार समर्थक होने के बावजूद भारत की प्रतिक्रिया इस तथ्य से प्रेरित थी कि संविधान व्यापक स्वामित्व तथा स्वीकार्यता सृजित करने में असफल रहा है। इस नए संविधान के आख्यापन का केवल 'उल्लेख' किया गया, 'स्वागत' नहीं। 20 सितम्बर, 2015 को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए भारत के आधिकारिक वक्तव्य में कहा

गया, "नेपाल में संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में भारत ने एक संघीय, लोकतांत्रिक, गणतंत्रवादी और समावेशी संविधान का समर्थन किया है। हमने नेपाल में आज एक संविधान के आख्यापन पर गौर किया है।"[38] भारत के सीमावर्ती (क्षेत्रों में) देश के अनेक भागों में हिंसक स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए नई दिल्ली ने काठमांडू से मतभेदों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का आग्रह किया।

भारत की सीमा से सटे मधेस-तराई क्षेत्र में संविधान के प्रति जारी हिंसात्मक प्रतिक्रिया पर भारत चिन्तित है। भारत नेपाल से बार-बार कहता रहा है कि वह सहमति के आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करे। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया में भारत की सलाह की अनदेखी की गई।

नेपाल के तराई क्षेत्र में जारी हिंसा का असर निश्चित रूप से भारत के भू-भागों तक भी 'फैलेगा'। नेपाल के नए संविधान के आख्यापन पर भारत की प्रतिक्रिया को भारत की 'उदासीनता' अथवा 'धौंस' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। भारत की चिन्ता इसकी खुद की सुरक्षा और आर्थिक हितों से प्रेरित रही है।

झिरझिरी सीमा, मौजूदा सुरक्षा खतरे, मधेस और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के बीच सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक सामंजस्य ऐसी सच्चाइयां हैं, जिनकी अनदेखी नई दिल्ली नेपाल से व्यवहार (dealing) करते समय नहीं कर सकता। यदि स्थिति लम्बे समय तक समस्यायुक्त बनी रहती है तो भारत को बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरणार्थियों के घुसपैठ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तराई क्षेत्र के मधेसी प्रवास करके भारत आना चाहेंगे।

बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ मधेसियों के सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध शायद उन बड़े कारकों में से एक है जिसके कारण भारत मधेसी के मामले की जोरदार वकालत कर रहा है। बिहार विधान सभा का चुनाव अक्तूबर, 2015 में होना है और मधेसी भावना मधेसी मामले का समर्थन कर रहे दलों के पक्ष में सीमा क्षेत्र के वोटों को खींचने का एक सुदृढ़ कारक बन सकता है। तराई में लगातार हिंसा भारत-नेपाल आर्थिक और व्यापार सहयोग और इस क्षेत्र में हाल ही में प्रारंभ हुए उपक्षेत्रीय बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) सहयोग के लिए एक झटका साबित हो सकता है।

*डॉ. अमित कुमार विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।

समाप्ति नोट:

[1] नेपाल का अंतरिम संविधान, 2063 (2007), http://www.lawcommission.gov.np/index.php?option=com_remository&Itemid=2&func=startdown&id=163&lang=en, 10 जुलाई, 2007

2 संघीय मानचित्र जो मधेसी और थारू चाहते हैं http://www.madhesiyouth.com/political/federalism-for-madhesis-and-tharus/, 27 सितम्बर,2015

3 नेपाल में न्यायपालिका, http://www.supremecourt.gov.np/main.php?d=general&f=preliminaries, 23 सितम्बर, 2015

4 पूर्वोक्त।

5 नेपाल में वर्ष 1990 का संविधान प्रारूपण और इसका क्रियान्वयन (भाग 1) http://www.constitutionnet.org/news/1990- constitution-making-nepal-and-its-implementation-part-1, 26 सितम्बर, 2015

6 काठमांडू पोस्ट, 21 सितम्बर, 2015, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-09-21/constitution- promulgated.html , 22 सितम्बर, 2015

7 द हिमालयन टाइम्, 21 सितम्बर, http://thehimalayantimes.com/kathmandu/now-focus-on-economidevelopment-post-quake-reconstruction/, 22 सितम्बर, 2015

8 काठमांडू पोस्ट, 21 सितम्बर, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-09-20/not-an-occasion-to-celebrate- bhattarai.html, 23 सितम्बर, 2015

9 पूर्वोक्त।

[10] *काठमांडू पोस्ट*, 24 सितम्बर, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-09-24/bhattarai-expresses-solidarity-with-demands-of-madhesi-parties.html, 27 सितम्बर, 2015

[11] *काठमांडू पोस्ट*, 25 सितम्बर, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-09-25/brb-supports-demands-of- madhes-parties.htm, 27 सितम्बर, 2015

[12] *काठमांडू पोस्ट*, 26 सितम्बर, http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2015-09-26/bhattarai-quits-ucpn- maoist.html, 27 सितम्बर, 2015

13 पूर्वोक्त।

14 द हिमालयन टाइम्स, http://thehimalayantimes.com/kathmandu/violence-in-protests-unacceptable-says-oli/, 27 सितम्बर, 2015

15 पूर्वोक्त।

16 द हिमालयन टाइम्स, http://thehimalayantimes.com/nepal/madhesis-tharus-stand-opposed-to-new-constitution/, 27 सितम्बर, 2015

17 पूर्वोक्त।

18 संयुक्त राष्ट्र समाचार केंद्र, ' http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51931#.Vgf2Weztmko, 25 सितम्बर, 2015

19 पूर्वोक्त।

20 21 सितम्बर, 2015 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हॉंग लेई का नियमित पत्रकार सम्मेलन, http://np.chineseembassy.org/eng/fyrth/t1298582.htm.

21 http://unb.com.bd/pm-congratulation-2#sthash.tRgqYeAE.dpuf, 26 सितम्बर, 2015

22 "पाकिस्तान ने नेपाल में नए संविधान की घोषणा का स्वागत किया" प्रेस विज्ञप्ति/भाषण, विदेश मंत्रालय पाकिस्तान सरकार, http://www.mofa.gov.pk/pr-details.php?mm=MzA5MA, 25 सितम्बर, 2015

23

24 नेपाल के संविधान के अंगीकार किए जाने पर विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य, 23 सितम्बर, 2015, http://foreign.gov.mv/v2/en/media-center/news/article/1403, 27 सितम्बर 2015

25 नेपाल के संविधान के प्रख्यापन पर वक्तव्य, 22 सितम्बर, 2015, http://nepal.usembassy.gov/pr-09-22- 2015.html, 27 सितम्बर 2015

26 पूर्वोक्त।

27 नेपाल में एक नए संविधान के प्रख्यापन पर प्रवक्ता द्वारा वक्तव्य, http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/documents/press_corner/2015.09.18_en.pdf, 27 सितम्बर, 2015

28 पूर्वोक्त।

29 जीन लिम्बर्ट, दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों हेतु दक्षिण एशियाई देश संबंध प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष का वक्तव्य, यूरोपीय संसद, ब्रुसेल्स, 21 सितंबर, 2015 http://www.eeas.europa.eu/delegations/nepal/documents/press_corner/2015.09.22_en.pdf, 25 सितम्बर, 2015

30 पूर्वोक्त।

31 नेपाल – नए संविधान का प्रख्यापन (20 सितम्बर, 2015), http://www.diplomatie.gouv.fr/en/country- files/nepal/events/article/nepal-promulgation-of-the-new-constitution-09-20-15, 24 सितम्बर, 2015

32 प्रेस वक्तव्य: नेपाल का नया संविधान, http://www.norway.org.np/Norway_and_Nepal/PRESS-STATEMENT-NEPALS-NEW CONSTITUTION1/#.Vgi4gtKqqko, 27 सितम्बर, 2015.

33 पूर्वोक्त।

34 एशिया मामलों के मंत्री, ह्यूगो स्वायर ने नेपाल में नए संविधान की प्रत्याशा करते हुए सभी पक्षों से शांति का आग्रह किया, https://www.gov.uk/government/news/uk-hopes-for-inclusive-resolution-for-nepal, 23 सितम्बर, 2015

35 जर्मनी ने नए संविधान का स्वागत किया, http://setopati.net/politics/9422/Germany-welcomes-new-Constitution/, 26 सितम्बर, 2015

36 नेपाल में नए संविधान के मसौदे को अंगीकार करना, (विदेश मंत्री किशिदा का कथन), http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000863.html.

37 नेपाल के संविधान सभा द्वारा एक नए संविधान का अनुमोदन पर सूचना एवं प्रेस विभाग द्वारा टिप्पणी, http://en.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1759824, 27 सितम्बर, 2015

38 नेपाल में स्थिति पर वक्तव्य, http://www.mea.gov.in/press- releases.htm?dtl/25821/Statement+on+the+situation+in+Nepal, 20 सितम्बर, 2015